आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	न्यायालय उपायुक्त –सह– जिला दंडाधिकारी, गढ़वा **अधिहरण अपील वाद सं0 – 10/2015–16** **ललु जायसवाल** **बनाम** **राज्य** **आदेश**	P.N. 158 – 3-8-17
13.06.17	यह वाद आवेदक ललू जायसवाल वल्द श्री केदार जायसवाल सा0– सिन्दुरिया,थाना– भवनाथपुर, जिला– गढ़वा की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा अधिहरण वाद सं0– 14/14 में दिनांक– 06.06.15 को पारित आदेश के विरूद्व दायर आवेदन पत्र पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलार्थी का अपील आवेदन में कहना है कि अपीलार्थी निर्दोष हैं, एवं उनके द्वारा कोई भी दंडनीय अपराध नहीं किया गया है। वन कर्मचारी से अदावत रहने के कारण मित्र को सहयोग करने के उदेश्य से वनरक्षी द्वारा प्रस्तुत मिथ्या अपराध के आधार पर ट्रैक्टर का राजसात किया गया है । वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा पारित आदेश अनुचित एवं अवैधानिक होने के साथ–साथ तथ्य एवं विधि के प्रतिकूल है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा साक्ष्य पर बिना विचार किये तथा कानूनी विन्दुओं को नजरअंदाज करते हुये केवल वन कर्मचारियों के कथन के आधार पर अपीलार्थी के ट्रैक्टर को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। वनरक्षी श्री भागीरथी उरॉव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह कहीं वर्णित नही है कि कथित ट्रैक्टर वन क्षेत्र के किस खाता क्षेत्र से जब्त किया गया है। ऐसी स्थिति में वनरक्षी का अपराध प्रतिवेदन स्वयं संदिग्ध हो जाता है। साथ ही वनरक्षी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में वन भूमि के अन्दर झाड़ी सफाई का कार्य दिखाया गया है, जबकि वन कर्मचारियों द्वारा ऐसा कोई भी झाड़ी जब्त नही किया गया है। जब्ती सूची पर न तो किसी स्वतंत्र गवाह का हस्ताक्षर है और न ही उसकी प्रति अपीलार्थी को दी गई है जो प्रावधानों का उल्लंघन है। अपीलार्थी द्वारा जिस जमीन को जोता गया है वह रैयती एवं निजी भूमि है। जहाँ तक अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिकमित वन भूमि को उक्त ट्रैक्टर से जोतवाने की बात है तो आवेदक द्वारा अतिकमित वन भूमि को स्वेच्छा से नही जोता गया है, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसे जोतवाया गया है, जो जानकारी के अभाव में आवेदक द्वारा जोता गया है और इस विश्वास के साथ जोता गया है कि उक्त भूमि रैयती अथवा निजी भूमि है। यह कार्य अपराध के श्रेणी में नही आने के बावजूद भी वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया और उसके ट्रैक्टर को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि संगत नही है। अपील आवेदन में उनका यह भी कहना है कि वनरक्षी परमवीर राम द्वारा वर्ष 2011 में 50,000/– रूपये रिश्वत की मांग की गई थी जो नही देने पर झूठा वन के केश में फंसाने की धमकी दी गई थी एवं मांग पूरा नही करने पर	

उक्त वनरक्षी द्वारा आवेदक के विरूद्ध गलत सी0एफ0वाद– 105/11 दर्ज किया गया जिसे मिथ्या पाकर तत्कालीन वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बरी कर दिया गया। उन्होने वनरक्षी परमवीर राम के विरूद्ध एक परिवाद न्यायालय में दायर किया है जो लंबित है एवं उसी लंबित वाद में सुलह करने हेतु दबाव बनाया गया और जब वे संधि नही किये तो गलत केश में फंसाकर ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। आवेदक का जब्त ट्रैक्टर कृषि कार्य के प्रयोजन में लाया जाता है जो उनके जीवकोपार्जन का एक मात्र साधन है। उनका यह भी कहना है कि आवेदक के विरूद्ध आरोपित वन अधिनियम की कोई भी धारा लागू नही होता है। अपने आवेदन पत्र में उन्होने वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 06.06.2015 को पारित आदेश को अपास्त करने एवं जब्त ट्रैक्टर को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने के साथ–साथ निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क में कहना है कि प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल द्वारा अधिहरण वाद संख्या– 14/14 में दिनांक– 06.06.2015 को पारित आदेश निराधार एवं अवैधानिक है। अपराध प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक– 11.07.2013 को 3:30 बजे अपराह्न में गश्ति के दौरान कैलान के निकट लगभग 5:00 एकड़ भूमि ट्रैक्टर नं0– यू0पी0 64 एफ0 8714 द्वारा जोतकर अतिक्रमित करने संबंधी प्रतिवेदन वनों के क्षेत्र पदाधिकारी भवनाथपुर को दिया गया जिसके आधार पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा अधिहरण वाद प्रारम्भ कर ट्रैक्टर को राज सात किया गया है। अपराध प्रतिवेदन में यह कहीं भी उल्लेख नही है कि वन भूमि के किस खाता एवं खेसरा की भूमि को ट्रैक्टर द्वारा जोता गया है। इतना ही नहीं अपराध प्रतिवेदन के साथ संलग्न जप्ती सूची रामचन्द्र चौधरी वनपाल द्वारा तैयार किया गया है जबकि भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 डी0 के अनुसार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से नीचे स्तर के कोई भी वन पदाधिकारी निरीक्षण करने या अवैध वाहन को जप्त करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति में वनरक्षी या वनपाल द्वारा ट्रैक्टर जप्त करना गैरकानूनी है एवं उसके आधार पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.2015 को पारित आदेश अपास्त योग्य है। तर्क में उनका यह भी कहना है कि जप्ती सूची पर किसी स्वतंत्र गवाह का हस्ताक्षर नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप संदेहास्पद एवं निराधार है। प्रावधानानुसार जप्ती सूची की प्रति दोषि व्यक्ति को या उसके पारिवारिक सदस्य को देने का प्रावधान होते हुए भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं अपराध प्रतिवेदन में लगभग पॉच ट्रैक्टर झाड़ी साफ करने के संबंध में उल्लेख है जबकि कोई भी झाड़ी वनकर्मी द्वारा जप्ती सूची में जप्त नहीं किया गया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं। उनके विरूद्ध वनकर्मियों द्वारा गलत वाद संस्थापित किया गया है। परमवीर राम वनरक्षी द्वारा इसके पूर्व आवेदक के विरूद्ध गलत सी0एफ0वाद संख्या 105/11 संस्थापित किया गया था, जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया जॉच में आवेदक को निर्दोष पाया गया फिर भी गलत तरीके से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तर्क में आगे उनका यह भी कहना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 A के अनुसार बिना कोई ठोस साक्ष्य के सम्पति को अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार नहीं है। बिना कोई ठोस साक्ष्य के आवेदक के ट्रैक्टर को जब्त कर अधिहरण किया जाना कानूनी दृष्टिकोण से गलत है। ऐसी

परिस्थिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा पारित आदेश निराधार है। अपने तर्क में उन्होने वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी वन प्रमंडल गढ़वा द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने एवं जप्त ट्रैक्टर को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है।

राज्य की ओर से सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के तर्क का खण्डन करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि निम्न–न्यायालय द्वारा अधिहरण वाद संख्या– 14/2014 में पारित आदेश विधि एवं तथ्य दोनों ही दृष्टिकोण से उचित है तथा प्रकिया के अधीन है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का यह कथन कि आवेदक के उपर वन अधिनियम की कोई भी धारा लागू नहीं होता है, स्वीकारनीय नहीं है चूँकि वनरक्षी के प्रतिवेदन में वन सीमा के अन्दर ट्रैक्टर से खेत जोतने की बात को लाया गया है जो वन अपराध के श्रेणी में आता है। तर्क में उन्होंने वन प्रमंडल पदाधिकारी गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा निम्न न्यायालय अभिलेख में पारित आदेश को नियम संगत बताया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता के तर्क को सुनने वो निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वन सीमा के अन्दर ट्रैक्टर (महिन्द्रा 275 DI इंजन संख्या RANE 33420) से लगे हल के द्वारा वन भूमि के जोताई करने के कम में जप्त किया गया है। चूँकि निम्न न्यायालय अभिलेख के साथ संलग्न वनरक्षी के प्रतिवेदन एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी भवनाथपुर वन क्षेत्र के प्रतिवेदन में वन भूमि में ट्रैक्टर द्वारा जोत करने की बात को स्पष्टतः उल्लेख किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में इस तथ्य को उजागर किया गया है कि आवेदक द्वारा अतिकमित वन भूमि को स्वेच्छा से नहीं बल्कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसे जोतवाया गया है। दूसरी ओर अपीलार्थी की ओर से कोई भी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके द्वारा वन भूमि की जुताई वाद से संबंधित प्रश्नगत ट्रैक्टर द्वारा नहीं किया गया है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर आती हूँ कि प्राधिकृत पदाधिकारी –सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा अधिहरण वाद संख्या– 14/14 में दिनांक– 06.06.2015 को पारित आदेश विधिनुकूल प्रतित होता है। फलतः उपरोक्त वर्णित परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं निम्न न्यायालय द्वारा अधिहरण वाद संख्या– 14/14 में दिनांक– 06.06.2015 को पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.15 12:29:25 +05:30
Location: 192.168.31.7

उपायुक्त – सह–
जिला दंडाधिकारी, गढवा

13/6
उपायुक्त–सह–
जिला दण्डाधिकारी,गढ़वा।